

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रथम श्रेणी, अंजड़ जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 517 / 2013
संस्थान दिनांक 13.09.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

1. खेमा पिता कलिया, आयु 60 वर्ष
2. अनिल पिता खेमा, आयु 35 वर्ष
दोनों निवासीगण – ग्राम खजुरी
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 16.11.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 151 / 2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 सहपठित धारा 34 भा.दं.सं. में दिनांक 03.06.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 14.07.2013 को समय शाम 5:30 बजे ग्राम खजुरी में फरियादी के खले पर फरियादी सेवकराम को माँ-बहन की अश्लील गोलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों का क्षोभ कारित करने, फरियादी सेवकराम को स्वैच्छया धारदार उपहकरण कुल्हाड़ी से मारकर उसे उपहति कारित करने, फरियादी सेवकराम को सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसे सामान्य आशय के अग्रसरण में लात-घुसों से मारपीट कर उसे स्वैच्छया उपहति कारित करने तथा फरियादी सेवकराम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में धारा 294, 324, 323 / 34, 506 भाग-2 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था ।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी सेवकराम को उसके पिता ने पौने तीन एकड़ जमीन दे रखी थी तथा छोटे भाई अनिल को 10 एकड़ जमीन दे रखी थी। घटना दिनांक 14.07.2013 को फरियादी सेवकराम खले में था, शाम लगभग 5:30 बजे उसने पिताजी खेमा को जमीन का हिस्सा बराबर कर उसके नाम पर कर देने का कहा था तथा खले में जो हिस्सा उसे भी दिया जाये जिसमें अभियुक्त अनिल ने मकान खड़ा कर लिया है तथा फरियादी का रास्ता रुक गया है। उक्त बात फरियादी सेवकराम ने उसके पिता को बताई तो अभियुक्त अनिल ने सेवकराम को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया दी, जो सुनने में बुरी लग रही थी तथा अनिल ने उसका हाथ पकड़ लिया तथा अभियुक्त खेमा ने कुल्हाड़ी उल्टे पेर के घुटने में मारी जिससे रक्त निकलने लगा। घटना में बीच-बचाव फिरोज ने किया तथा अभियुक्तगण ने जमीन के हिस्से की बात पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने फरियादी सेवकराम द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 151/2013 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 2 लेखबद्ध की। पुलिस ने फरियादी सेवकराम की निशांदैही पर घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 बनाया, पुलिस ने अभियुक्त खेमा से एक लोहे की कुल्हाड़ी जप्त कर प्रदर्शपी 4 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने फरियादी सेवकराम एवं साक्षीगण सुनिल एवं फिरोज के कथन लेखबद्ध किये थे तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 294, 324, 323, 506 भाग-2 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 294, 324, 323/34, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं कि —

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 14.07.2013 को समय शाम 5:30 बजे ग्राम खजुरी में फरियादी के खले पर फरियादी सेवकराम को माँ-बहन की अश्लील गॉलिया सार्वजनिक स्थान पर देकर उसे व अन्य व्यक्तियों का क्षोभ कारित किया ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सेवकराम को स्वैच्छया धारदार उपहकरण कुल्हाड़ी से मारकर उसे उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सेवकराम को सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उसे सामान्य आशय के अग्रसरण में लात-घुसों से मारपीट कर उसे स्वैच्छया उपहति कारित की ?
4. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सेवकराम को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

यदि हों, तो उचित दंडाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फिरोज (अ.सा.1), शिवराम जाट (अ.सा.2), प्रधान आरक्षक मेहताब सिंह (अ.सा.3), सेवकराम (अ.सा.4), सुनिताबाई (अ.सा.5), डॉ. डी.एस. चौहान (अ.सा.6), मुकेश (अ.सा.7) एवं सीताराम (अ.सा.8) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं तथा बचाव में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क मांक 2 व 3 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। सेवकराम (अ.सा.4) अपने कथन में बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पूर्व शाम 5-6 बजे की है। वह अभियुक्तों से पौने तीन एकड़ की भूमि के संबंध में बात-चीत करने गया था, तो अभियुक्त खेमा ने कहा कि तुमसे जो बने वह कर लेना, फिर अभियुक्तों ने उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे उसके उल्टे पैर की हड्डी में चोट आकर अस्थि भंग हो गया। चोट के कारण वह बेहोश हो गया। उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी जो प्रदर्शपी 2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण करवाया था। उसका ईलाज बड़वानी अस्पताल में भी हुआ था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जमीन के हिस्से की बात को लेकर गाँव के सरपंच तुकाराम उप सरपंच दिनेश तथा मोतीलाल, सीताराम एवं मुकेश उस समय

इकट्ठा हुए थे, उस समय जमीन हिस्से की लिखा-पढ़ी हुई थी और तीन हिस्से में से उसे उसके कहे अनुसार हिस्सा मिला था। फरियादी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके खेत से बिजली के बिल का प्रकरण बनाया था, जिसमें उसने 13,000/- रुपये भरे थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा पोने तीन एकड़ की भूमि में ट्यूबवेल के लिए बिजली के बिल की राशि माफ करवाने का प्रयास किया था लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया था। फरियादी ने स्वीकार किया कि उसका इसी बात को लेकर अपने पिता से विवाद हुआ था तथा अभियुक्तों से बातचीत बंद है। साक्षी ने स्वीकार किया उसका विवाद सीताराम के घर के यहाँ हुआ था, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि सीताराम एवं मुकेश उसे समझा रहे थे कि वह अपने पिता से विवाद क्यों कर रहा है अथवा वह उस दिन मदिरापान कर अभियुक्तों को मारने दौड़ा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घर से निकल रहा था, तब घर के लोहे के दरवाजे से उसे चोट लगी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसके साथ विवाद के समय अभियुक्त अनिल बरूफाटक गया था अथवा उसकी पत्नी उस समय घर पर थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को रिपोर्ट एवं बयान में यह बता दिया था कि दोनों अभियुक्तों ने उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट की थी, यदि उक्त बात पुलिस कथन एवं रिपोर्ट प्रदर्शनी 2 में नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है।

8. सुनिताबाई असा 5 ने कथन किया कि फरियादी उसका पति है। 3 वर्ष पूर्व वह शाम 5:00 बजे अपने पति के साथ थी। उसका पति पावती के लिए अभियुक्तों के पास गया तो वह भी अपने पति के पीछे-पीछे गई तब तक अभियुक्तों ने उसके पति को कुल्हाड़ी से घुटने में मार दिया था, जिससे उसके पति की घुटने की हड्डी टूट गई थी। उसके पति को ठीकरी के अस्पताल और उसके बाद बड़वानी अस्पताल भेजा गया था। घटना की रिपोर्ट उसके पति ने थाने पर की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह घटना होने के बाद पहुँची थी। घटना मुकेश एवं सीताराम के घर हुई थी। उसने अपने पति के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखा था। उसके पति का अभियुक्तों से खेत के हिस्से एवं पावती का विवाद होता था और पहले से ही बोलचाल बंद है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके पति को उसके हिस्से की जमीन मिल गई है। उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि उसके पति के साथ किसने और किससे मारपीट की थी। साक्षी ने प्रदर्शनी 2 के कथन में पुलिस को उक्त बातें बताने से इंकार किया है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसका पति लोहे के दरवाजे के वहाँ गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी।

9. फिरोज असा 1 को घटना का चश्मदीद साक्षी होना बताया गया है लेकिन उक्त साक्षी ने फरियादी एवं अभियुक्तों को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है यहाँ तक कि पुलिस को प्रदर्शपी 1 का कथन देने से भी इंकार किया है।

10. शिवराम जाट असा 2 ने दिनांक 14.07.2013 को थाना ठीकरी में फरियादी सेवकराम की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदर्शपी 2 का अपराध दर्ज कराने और सेवकराम को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों एवं फरियादी के मध्य जमीन के हिस्से को लेकर विवाद हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने उसे बताया कि वह सीताराम के मकान के दरवाजे पर गिर गया था, जिससे उसे चोट लगी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादी ने उसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी।

11. डॉ. डी.एस. चौहान असा 6 का कथन है कि दिनांक 14.07.2013 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर होने और आरक्षक देवेन्द्र द्वारा आहत सेवकराम को मेडिकल परीक्षण हेतु लाये जाने पर उसके बायें घुटने के मध्य भाग पर सूजन, विकृति एवं कटा हुआ घाव जिसमें से रक्त बह रहा था जिसका आकार 2 ग 1/4 इंच था तथा उक्त चोट चमड़ी की सतह तक थी। साक्षी ने उक्त चोट सख्त या धारदार वस्तु से आना बताया है तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि आहत साक्षी सेवकराम के एक्सरे का परीक्षण करने पर उसे कोई अस्थि भंग की चोट नहीं होना पाई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे किस वस्तु से चोट आई थी उसका परीक्षण नहीं कराया है तथा उक्त चोट लोहे की धारदार वस्तु से टकराने पर आना संभव है।

12. मुकेश असा 8, सीताराम असा 9 अभियुक्त खेमा से लोहे की कुल्हाड़ी जप्त करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साक्षीगण हैं लेकिन उक्त दोनों ही साक्षियों ने प्रदर्शपी 4 से 6 पर अपने हस्ताक्षर के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि पुलिस ने थाना ठीकरी में अभियुक्त खेमा से विवाद में प्रयुक्त की गई लोहे की कुल्हाड़ी जप्त की थी।

13. मेहताब सिंह असा 3 का कथन है कि दिनांक 14.07.2013 को उसने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 151/2013 की विवेचना के दौरान फरियादी सेवकराम की निशांदैही से घटनास्थल का नक्शामौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करने तथा उसने खेमा से एक कुल्हाड़ी प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था तथा डॉक्टर द्वारा सेवकराम को धारदार वस्तु से चोट आने पर भा.द.स. की धारा 324 बढ़ाई गई। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादी एवं साक्षियों ने कोई कथन नहीं दिये थे अथवा सेवकराम ने खेमा द्वारा कुल्हाड़ी से मारने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों एवं फरियादी के मध्य जमीन के हिस्से को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त खेमा से कोई कुल्हाड़ी जप्त नहीं की थी अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

14. अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि फरियादी स्वयं ने अपने न्यायालय कथन में यह स्पष्ट नहीं किया कि किस अभियुक्त ने उसके साथ किस वस्तु से मारपीट की थी तथा चश्मदीद साक्षी फिरोज असा 1 तथा सुनिताबाई असा 5 ने स्वीकार किया है कि उन्होंने मारपीट की घटना नहीं देखी थी। यहाँ तक कि फिरोज असा 1 पूर्णतः पक्षविरोधी रहा है। उनका यह भी तर्क है कि जप्ती पंचनामों के दोनों साक्षीगण पक्षविरोधी रहे हैं तथा फरियादी ने रंजिशवश मिथ्या रिपोर्ट लिखाई है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन कथा शंकास्पद हो जाती है और अभियुक्तों के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

15. यह सही है कि फरियादी सेवकराम असा 4 ने न्यायालय में यह स्पष्ट कथन नहीं किया है कि किस अभियुक्त ने उसके साथ किस वस्तु से मारपीट की थी, लेकिन साक्षी ने प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट घटना के तत्काल बाद लिखाना बताया है तथा प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट में स्पष्ट लेख है कि खेमा ने उसे कुल्हाड़ी उसे उल्टे पैर के घुटने में मारी थी, जिससे रक्त निकल आया था। डॉ. डी एस चौहान असा 6 ने घटना के कुछ ही समय बाद किये गये मेडिकल परीक्षण में सेवकराम के बायें पैर के घुटने में धारदार वस्तु से एक चोट चमड़ी की सतह तक होना पाया है तथा मेहताबसिंह असा 3 ने घटना की विवेचना के दौरान खेमा से उक्त कुल्हाड़ी प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त की थी। सेवकराम असा 4 तथा मेहताबसिंह असा 3 ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि सेवकराम को लोहे के दरवाने पर गिरने से चोट आई थी। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता कि आहत सेवकराम को गिरने से उक्त चोट आई है। अभियुक्तों एवं फरियादी के मध्य जमीन के

विभाजन को लेकर विवाद है तथा अभियुक्त खेमा फरियादी का पिता एवं अनिल फरियादी का भाई है। ऐसी स्थिति में फरियादी द्वारा मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराने का बचाव भी स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। घटना की रिपोर्ट तत्काल बाद फरियादी द्वारा करवाई गई जहाँ से उसे मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। जहाँ चिकित्सक डॉ. डी. एस. चौहान ने फरियादी के बताये हुए स्थान बायें घुटने पर उसे धारदार वस्तु से चोट होना पाया है।

16. आहत सेवकराम असा 4 के कथनों का समर्थन उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा साक्षी शिवराम असा 2 तथा मेहतबासिंह असा 3 के कथनों से होता है। सुनिताबाई असा 5 ने भी स्पष्ट कथन किया है कि उसके पहुँचने तक अभियुक्तों ने उसके पति को कुल्हाड़ी से घुटने में मार दिया था। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त खेमा ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सेवकराम असा 4 को धारदार वस्तु कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वैच्छयापूर्वक उपहति कारित की जो कि भा.द.स. की धारा 324 का अपराध है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त खेमा पिता कलिया को भा.द.स. की धारा 324 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

17. जहाँ तक अभियुक्त द्वारा सेवकराम को मारपीट करने का सामान्य आशय अभियुक्त खेमा के साथ मिलकर बनाये जाने का प्रश्न है वहाँ फरियादी सहित किसी भी साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त अनिल ने सेवकराम को उपहति कारित करते समय खेमा के साथ मिलकर सामान्य आशय का निर्माण किया। ऐसी स्थिति में अभियुक्त अनिल के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 324/34 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः उक्त धारा के अपराध में अभियुक्त अनिल को दोषमुक्त किया जाता है।

18. फरियादी सहित किसी अन्य साक्षी का यह कथन नहीं है कि अभियुक्तों ने सख्त एवं बोथरी वस्तु से भी फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वैच्छयापूर्वक उपहति कारित की। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शपी 2 तथा आहत के मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 3 में भी फरियादी को केवल एक ही चोट होने का लेख है। डॉ. डी. एस. चौहान असा 6 ने भी सेवकराम को एक ही चोट होना पाई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 323, 323/34 का अपराध भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः भा.द.स. की धारा 323, के अपराध में अभियुक्त अनिल को तथा भा.द.स. की धारा 323/34 के अपराध से अभियुक्त खेमा को दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 4 के संबंध में

19. फरियारदी सेवकराम असा 4 ने कोई कथन नहीं किया है तथा शेष अभियुक्तों ने भी सेवकराम को लोक स्थान पर अश्लील शब्द कहे जाने तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं, तो ऐसी स्थिति में भा.द.स. की धारा 294, 506 भाग-2 के अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्तों को भा.द.स. की धारा 294, 506-भाग-2 के अपराधों में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त अनिल के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. चूँकि अभियुक्त खेमा को भा.द.स. की धारा 324 में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

पुनश्च:-

21. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त खेमा के अधिवक्ता को सुना गया। उनका यह निवेदन है कि अभियुक्त फरियाद का पिता है तथा जमीन के विभाजन को लेकर घटना कारित हुई। घटना के समय अभियुक्त लगभग 55 वर्ष थी। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये तथा परीविक्षा पर रिहा किया जाये।

22. यह सही है कि अभियुक्त फरियादी का पिता है तथा जमीन के विवाद को लेकर यह घटना होना प्रमाणित भी हुआ है। अभियुक्त की आयु वर्तमान में लगभग 60 वर्ष है। भादस की धारा 324 में 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर नहीं है। अपराध करने की परिस्थितियों, अभियुक्त की आयु, तथा पारिवारिक विवाद को देखते हुए अभियुक्त को कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा आपराधिक परीविक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के प्रावधान अनुसार अभियुक्त खेमा को तुरंत कोई दण्डादेश देने की बजाय सदाचार की परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत होता है।

23. अतः आपराधिक परीविक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार अभियुक्त खेमा पिता कलिया, निवासी ग्राम खजुरी को 2 वर्ष तक सदाचारी बने रहने, परिशांति बनाये रखने और कोई भी अपराध कारित नहीं करने की शर्त पर रुपये 10,000/- की जमानत और इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र उक्त 2 वर्ष की अवधि के लिए निष्पादित करने की शर्त पर परीविक्षा पर रिहा किया जाता है। इसी अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत यह भी आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त प्रकरण के फरियादी सेवकराम को प्रतिकर के रूप में रुपये 500/- अदा करेगा। अभियुक्तों के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

24. प्रकरण की एक प्रति थाना प्रभारी ठीकरी एवं परीविक्षा अधिकारी बड़वानी को दी जाये।

25. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पति लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी